

डिक्री वमुकदमें ईवादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 127 / 2025

लखविन्द्र सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

- 1 लखविन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
 - 2 किरणवीर कौर पुत्री लखविन्द्र सिंह पत्नी हरकीरत सिंह जाति जटसिख सा.सुन्दरपुरा तह. सादलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई करवा रहा है। वहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 22 ए.एम.पी. के खाता संख्या 82/37 जमावन्दी सम्मत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 लखविन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी परविन्द्र सिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।
बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.5.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया